तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनानदेश
30/1/18	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता/वादी/प्रतिवादी, उभयपक्ष/उप. अनुपस्थित अधिवक्ता प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष/उप अनुपस्थित पत्रावली वास्ते पुनर्निर्माण [illegible] कार्यवाही आगामी पेशी दिनांक 16/3/18 पेश हो
16/3/18	वकुलाए फरिकेन उपस्थित। विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 2/5/18 को पेश हो।
2/5/18 पीठासीन अधि.	पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष वकील उप. समय अभाव के निर्णय नहीं लिखा जा सका अतः दिनांक 9/5/18 को पेश हो।
9/5/18	पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष वकील उप. पत्रावली में निर्णय अलग से लिखकर घोषित किया गया, पत्रावली [illegible] नक्शा [illegible] निर्णय [illegible]
15.5.18	वादी [illegible] सिंह की ओर से निर्णय व डिक्री की दुरुस्ती हेतु प्रा. पत्र 152 CPC पेश करने पर पत्रावली तलब की गई। हमारे द्वारा प्राप्त किया जाकर [illegible] व रिकार्ड का अवलोकन

Scanned by CamScanner

किया गया जिसके अनुसार कानिल दुरुस्ती
है। प्रार्थना-पत्र को प्रतिवादी/विपक्षीगण द्वारा
No-objection किया गया है, प्रा.पत्र
No-objection होने से स्वीकार किया जाता
है। प्रा.पत्र अनुसार मिसिल व डिक्री केवाल
नामा अनुसार दुरुस्ती की जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

(11)

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– सुरेन्द्र सिंह पुरोहित (आर.ए.एस.)

प्यारासिंह पुत्र बलवीरसिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

––वादी

बनाम

1. विक्रमसिंह पुत्र बलवीरसिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. कर्णपालसिंह पुत्र बलवीरसिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. जसवीरकौर धर्मपत्नि स्व. श्री मेजरसिंह जाति जटसिख निवासी चक ज्वालासिंहवाला तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. सुखविन्द्रसिंह पुत्र मेजरसिंह जाति जटसिख निवासी चक ज्वालासिंहवाला तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5. सुखजिन्द्रसिंह पुत्र मेजरसिंह जाति जटसिख निवासी चक ज्वालासिंहवाला तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6. जरनैलसिंह पुत्र मस्तान सिंह जाति जटसिख निवासी चक ज्वालासिंहवाला तहसील व जिला हनुमानगढ़।
7. करनैलसिंह पुत्र मस्तान सिंह जाति जटसिख निवासी चक ज्वालासिंहवाला तहसील व जिला हनुमानगढ़।
8. बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
9. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़।

––प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते

वाद संख्या :– 221 सन् 2011

दावा अन्तर्गत धारा 188, 53 आरटीए

Web Copy - Not Official

उपस्थित :–

1.	श्री विनोद पारीक अधिवक्ता	वादी
2.	श्री रमेश कुमार जोशी अधिवक्ता	प्रतिवादी सं0 1
3.	श्री राजेशदीप राय अधिवक्ता	प्रतिवादी सं. 2

निर्णय

दिनांक : 25-4-18

उक्त अनवानी प्रकरण में दिनांक 09.01.2017 को न्यायालय द्वारा वाद वादी एवं काउंटर क्लेम प्रतिवादी सं. 2 आंशिक स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री की पालना मे पत्रावली में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा दौराने बहस विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए इसी अनुसार अन्तिम डिक्री जारी कर विभाजन हेतु निवेदन किया गया।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा दौराने बहस विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति जाहिर नही करते हुए मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार (भू.अ.) हनुमानगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। चूंकि प्रकरण मे तहसीलदार हनुमानगढ़ द्वारा मौका कब्जा काश्त एवं अच्छी मंदी के हिसाब विभाजन प्रस्ताव भिजवाया गया है तथा विभाजन प्रस्ताव पर पक्षकारान के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी बतौर सहमति अंकित है। विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्ष के

सहायक कलक्टर

Scanned by CamScanner

12

अधिवक्तागण द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नही की गई है तथा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा अन्तिम डिक्री कर विभाजन हेतु निवेदन किया गया। इसलिए मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

अतः पत्रावली में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया जाता है व आदेश दिया जाता है कि चक 3 केएनजे के प.न. 120/265 मु.न. 64 कि.न. 19, 22, प.न. 120/266 मु.न. 77 कि.न. 2, 9/0.127 कुल 0.886 है0 भूमि का वादी प्यारासिंह खातेदार काश्तकार है, चक 3 केएनजे के प.न.120/265 मु.न. 64 कि.न. 18, 23, प.न. 120/266 मु.न. 77 कि.न. 3, 8, 9/0.063 कुल 1.328 है0 भूमि का प्रतिवादी सं. 2 कर्णपालसिंह खातेदार काश्तकार है, चक 3 केएनजे के प.न. 120/265 मु.न. 64 कि.न. 20, 21, प.न. 120/266 मु.न. 77 कि.न. 1, 9/0.063, 10, 12 कुल 1.328 है0 भूमि का प्रतिवादी सं. 1 विक्रमसिंह खातेदार काश्तकार है। उक्तानुसार खाते अलग कायम किये जाकर राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावें। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। तादाद 200/-रू0 का स्टाम्प तकमीलन शामिल फाईल करवाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 9/1/18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner

प्राथमिक डिक्री व मुकदमे कार्यवाही
न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

बईजलास :– राकेश कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 221/2011

प्यारासिंह पुत्र बलवीरसिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

––वादी

बनाम

1. विक्रमसिंह पुत्र बलवीरसिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. कर्णपालसिंह पुत्र बलवीरसिंह जाति जटसिख निवासी शाहपीनी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. जसवीरकौर धर्मपत्नि स्व. श्री मेजरसिंह जाति जटसिख निवासी चक ज्वालासिंहवाला तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. सुखविन्द्रसिंह पुत्र मेजरसिंह जाति जटसिख निवासी चक ज्वालासिंहवाला तहसील व जिला हनुमानगढ़।
5. सुखजिन्द्रसिंह पुत्र मेजरसिंह जाति जटसिख निवासी चक ज्वालासिंहवाला तहसील व जिला हनुमानगढ़।
6. जरनैलसिंह पुत्र मस्तान सिंह जाति जटसिख निवासी चक ज्वालासिंहवाला तहसील व जिला हनुमानगढ़।
7. करनैलसिंह पुत्र मस्तान सिंह जाति जटसिख निवासी चक ज्वालासिंहवाला तहसील व जिला हनुमानगढ़।
8. बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा हनुमानगढ़ जंक्शन तहसील व जिला हनुमानगढ़।
9. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़।

----प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दावा बाबत :– अंतर्गत धारा 188, 53 आर.टी.ए.

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कराई रोबरू मेरे बहाजरी विद्वान अधिवक्ता वादी मिन जामिन मुद्दई एवं विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 व 2 मिन जानिब मुद्दायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व वाद वादी एवं काउंटर क्लेम प्रतिवादी सं. 2 आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्राथमिक किया जाता है व तहसीलदार हनुमानगढ़ को वाद वादी एवं काउंटर क्लेम प्रतिवादी सं. 2 की चित्रप्रति भिजवाई जाकर रिकार्ड एवं मौका कब्जानुसार राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना की जाकर अच्छी मेंढी, खाला रास्ता को ध्यान में रखते हुए विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावें।

विभाजन प्रस्ताव हेतु तहसीलदार हनुमानगढ़ को पत्र जारी हों।

वसब्त मेरे दस्तखत एवं न्यायालय की मुद्रा से दिनांक 31.1.17 को जारी की गई।

सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner